न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 199/2016

1. लालचन्द पुत्र श्री त्रिलोकराम जाति जाट साकिन 13 क्यू पो.आ. 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. मुखराम पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी गांव व पोस्ट 13 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल खेजड़ा दिखनादा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री काशीराम रिणवा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता — अप्रार्थी
3. पैरोकार राज

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.11.2016

प्रार्थी द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 63/74 के मुरब्बा नम्बर 2 में 0.886, मुरब्बा नम्बर 3 में 0.481, मुरब्बा नम्बर 18 में 0.289 तथा खाता संख्या 55/74 के मुरब्बा नम्बर 2 में 1.365, मुरब्बा नम्बर 18 0.291 इस प्रकार कुल 3.316 हैक्टर भूमि का प्रार्थी खातेदार कृषक है।

प्रार्थी अपनें मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 13/2 की 0.099 है, व 14/2 की 0.190 है, भूमि जो चिपती हुई है, कि काश्त अनावेदक संख्या 1 के किला नम्बर 14/1 व 15 के उत्तरी दिशा किला लाईन की बट पर आ–जाकर इसको रास्ता के रूप में प्रयोग करते हुए अपनी काश्त करता है। मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो मौके पर चालू है। आवेदक की भूमि किला नम्बर 13/2 व 14/2 में है आवेदक की भूमि के लिये केवल मात्र रास्ता किला नम्बर 15 व 14/1 में से ही है। इस रास्ता के अलावा आवेदक के पास कोई अन्य रास्ता नहीं है।

आवेदक अपनी मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 13/2 व 14/2 की भूमि की काश्त अनावेदक संख्या 1 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15 व 14/1 की उत्तरी दिशा में किला लाईन की बट पर से चल रहे रास्ता से ही भूमि काश्त करता है। परन्तु किला नम्बर 15 व 14/1 में रास्ता दर्ज करवानें का कहा तो अनावेदक संख्या 1 नें रास्ता दर्ज करवानें से इन्कार कर दिया।

आवेदक की भूमि मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 13/2 व 14/2 में है, मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 च 25 में रास्ता दर्ज है जो मौके पर चल रहा है। आवेदक अपनी भूमि किला नम्बर 13/2 व 14/2 की काश्त अनावेदक संख्या 1 की भूमि किला नम्बर 15 व 14/1 की उत्तरी दिशा में चल रहे रास्ता से जाकर ही काश्त करता है। आवेदक की भूमि के लिये केवल मात्र यही रास्ता है। और कहीं से रास्ता नहीं है। इसलिये उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक व उचित है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अतः निवेदन है, कि आवेदक की भूमि वाके चक 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 13/2 व 14/2 के लिये अनावेदक संख्या 1 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15 व 14/1 में उत्तरी दिशा में किला लाईन पर 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जानें का आदेश प्रदान किया जावे। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा आवेदक अदा करनें के लिये तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्रांक 957 दिनांक 06.05.2015 को भिजवाई गई रिपोर्ट में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार चक 11 क्यू के खाता संख्या 55/74 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 14/1=0.063, 15/.228 हैक्टर मुखराम पुत्र त्रिलोकाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है रकबा एकल खाते में दर्ज है। जिसके अनुसार पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। इसी मुरब्बा में पुर्व में किला नम्बर 5, 6, 15, 16 ता 25 में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। प्रार्थी को अन्य खातेदारों की भूमि में से रास्ता दिया जाता है, तो प्रार्थी को भूमि के बदले भूमि/मुआवजा के सम्बंध में प्रार्थी से सहमति लिया जाना उचित होगा।

अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2015 को जरीये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र पस्तुत कर कथन किया कि आवेदक मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 13/2 की 0.099 व किला नम्बर 14/2 की 0.190 हैक्टर भूमि की काश्त नहीं करता है, बल्कि उक्त भूमि आवेदक नें अपनें भाई भादरराम को हिस्सा ठेका पर देखी है उत्तरदाता के किला नम्बर 15 के उत्तरी दिशा में वर्तमान में कोई रास्ता चालू नहीं है एवम् न ही पूर्व में आवेदक द्वारा किला नम्बर 14/1 व 15 के उत्तरी दिशा में रास्ते के रूप में प्रयोग करता रहा है।

आवेदक मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15 व 14/1 की उत्तरी दिशा में स्थित भूमि का रास्ते के रूप में प्रयोग नहीं करता है। और न ही कभी आवेदक अनावेदक से मिला है। आवेदक उत्तरदाता के किला नम्बर 15 व 14/1 की उत्तरी दिशा में से नहीं आता जाता रहा है। उत्तरदाता अपनी समस्त कृषि भूमि पर बिजाई करता है, तथा वर्तमान में भी फसल काश्त कर रखी है। अगर उत्तरदाता की कृषि भूमि में से 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाता है, तो उसकी भरपाई मुआवजा से नहीं हो सकती है। तथा उत्तरदाता की शेष बची भूमि काश्त लायक नहीं रहेगी। अतः आवेदक का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा दिनांक 03.11.2016 को बहस की कई दौरानें बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करनें हेतु निवेदन किया जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अगर उत्तरदाता की कृषि भूमि में से 2–2 बिस्वा रास्ता दिया जाता है, तो उसकी भरपाई मुआवजा से नहीं हो सकती है। तथा उत्तरदाता की शेष बची भूमि काश्त लायक नहीं रहेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे अगर फिर भी न्यायालय रास्ता स्वीकृत करना उचित समझे तो रास्ता की भूमि के बदले भूमि दी जावे ताकि प्रार्थी की भूमि की पूर्ति हो सके।

विद्वान अधिवक्तागणों की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 11 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 15 व 14/1 में उत्तरी दिशा में किला लाईन पर 1–1 बिस्वा अर्थात 8–1/4 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है, और रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. की दुगनी राशि तहसील कार्यालय में जमा होनें के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा सकेगा। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि का वितरण जिन अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते में आ रही है उनको वितरण की जावेगी।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। तथा सम्बंधित को मुआवजा राशि का वितरण किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। यह आदेश आज दिनांक 15.11.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर